परिसम्पति प्रमाण–पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसूची–1 (प्रपत्र–1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।

vi. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–13062, दिनांक 12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऑलनाईन आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार (Medical Board) द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत कम–से–कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत का निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी समय सभा सचिवालय द्वारा मांग किये जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सके।

vii. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–2342, दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

viii. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–16144, दिनांक–28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि विधान सभा सचिवालय द्वारा निर्धारित तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।

7. <u>उम्र सीमा</u>–

i. **न्यूनतम आयु**–दिनांक 01.08.2023 को न्यूनतम उम्र 21 (इक्कीस) वर्ष।

ii. **अधिकतम आयु–**

- सामान्य (अनारक्षित) पुरूष–37 (सैंतीस) वर्ष
- सामान्य (अनारक्षित) महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)–40 (चालीस) वर्ष
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)–42 (बयालीस) वर्ष।

iii. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों, को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य होगा।

iv. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को यथा संशोधित अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

v. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

vi. अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जायेगी।

8. <u>परीक्षा की पद्धति</u>–

उपर्युक्त पदों के लिए दो चरणों में परीक्षा ली जाएगी। सर्वप्रथम एक प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय) ओ०एम०आर० (OMR) उत्तर पत्रक आधारित आयोजित होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की **मुख्य परीक्षा (वर्णनात्मक)** ली जायेगी।

उक्त पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम समरूप होगा तथा उसके आधार पर ही प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय) ओ०एम०आर० (OMR) उत्तर पत्रक आधारित ली जाएगी। इसी प्रारम्भिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल, उक्त पदों के लिए नियमानुसार आरक्षणवार अनुवर्ती मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के निमित्त घोषित किया जायेगा।

(i) <u>प्रारम्भिक परीक्षा</u> :– इस परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी

और कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे।

प्रारंभिक परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगेः–

(क) सामान्य अध्ययन – प्रश्नों की संख्या 40 होगी।

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित – प्रश्नों की संख्या 30 होगी।

(ग) मानसिक क्षमता जाँच एवं तार्किक विचार – प्रश्नों की संख्या 30 होगी।

इस प्रारम्भिक परीक्षा के अधोन उम्मीदवारों का परीक्षाफल, अनुवर्ती मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के निमित्त घोषित किया जायेगा। इस निमित्त, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक–6706, दिनांक 01.10.2008 के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर सभा सचिवालय का निर्णय अन्तिम होगा।

अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जायेगी। समानीकरण की प्रक्रिया की जानकारी FAQ (Frequently Asked Questions About Equating of Scores on Multiple Forms) के अन्तर्गत देखी जा सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :–

(क) सामान्य अध्ययन :– इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी को उसके आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्त्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(i) सम–सामयिक विषय :– महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम–सामयिक घटनायें, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल–खिलाड़ी।

(ii) भारत और उसके पड़ोसी देश :– पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत एवं बिहार का इतिहास/संस्कृति/भूगोल/आर्थिक परिदृश्य/कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, भारत के संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली का उद्भव एवं क्रमिक विकास, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आन्दोलन में बिहार का योगदान।

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित :– इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैंः–

(i) सामान्य विज्ञान :– भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान।

(ii) गणित :– संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि।

(ग) मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार (Mental Ability & Logical Reasoning) :–

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते है :– सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।

(ii) मुख्य परीक्षाः–